



भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अन्तर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय)

फा.सं. 17/8/inclusion/2013-RU-III

छठी मंजिल, बी विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट नई दिल्ली-110003
6th Floor. 'B' Wing. Lok Nayak Bhawan
Khan market, New Delhi-110003
दिनांक: 25.05.2016

सेवा में,


अशिष कुमार भट्ट,
सचिव,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग,
मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन,
नया रायपुर (छत्तीसगढ़)।

विषय: छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में बिड़िया समुदाय का शामिल करने बावत।

महोदय,

कृपया आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 13.05.2016 का संदर्भ ग्रहण करें। उपरोक्त विषय पर डा. रामेश्वर उरांव, अध्यक्ष महोदय से दूरभाषा पर चर्चानुसार मामले में आपको दिनांक 31.05.2016 को अपरह्न 12:00 बजे चर्चा के लिए आयोग में बुलाया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त दिनांक एवं समय पर आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय,

(के.डी.बंसौर)श्रीमती
निदेशक